

कार्यालय आयुक्त निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून
(निःशक्त व्यक्ति (समाज अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत स्थापित)
कार्यालय - 100 ओल्ड नेहरु कॉलोनी, देहरादून। फोन नं 0135 - 2669981

संख्या : ५४९ / आ०नि०ज० / २०१२
दिनांक : ३० दिसंबर, २०१२

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
निदेशालय समाज कल्याण विभाग
हल्द्वानी, नैनीताल।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की ६(३) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र का उत्तरान्तरण।

महोदय,

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत श्री ए० विश्वनाथन, पॉलिसी एनालिस्ट, सेन्टर फॉर इन्टरनेट एण्ड सोसाइटी, बैंगलुर (कर्नाटक) का अनुरोध-पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसमें चाही गयी सूचना समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है। अतः अनुरोध पत्र एवं भारतीय पोस्टर आर्डर की मूल प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट घरें।

संतरा-अनुरोध-पत्र वर्षों सं० १९१५३२

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय आयुक्त
निःशक्तजन उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रतिलिपि : श्री ए० विश्वनाथन, पॉलिसी एनालिस्ट, सेन्टर फॉर इन्टरनेट एण्ड सोसाइटी, बैंगलुर (कर्नाटक) को सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय आयुक्त
निःशक्तजन उत्तराखण्ड
देहरादून।

राज्य सरकार द्वारा निःशक्तजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाएँ Persons for

1. निःशक्तजनों को भरण-पोषण अनुदान(पेंशन)– बी०पी०एल० श्रेणी अथवा रु० 1000/- मासिक आय तक के निःशक्तजनों को रु० 600/- प्रतिमाह पेंशन तथा कुष्ठ रोग से मुक्त को रु० 1000/-प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
2. निःशक्त छात्रवृति– निःशक्त छात्र/छात्राओं एवं निःशक्त अभिभावकों के बच्चों को जिनकी मासिक आय रु० 2000.00 तक है, छात्रवृति दी जाती है।
3. कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय अनुदान– निःशक्तजनों जिनकी मासिक आय रु० 1000/- तक हो, को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु रु० 3500/-अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है।
4. निःशक्तजनों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना– निःशक्तजनों जिनकी स्वयं की भूमि हो, को दुकान निर्माण हेतु रु० 20,000/- जिसमें रु० 15000/- अनुदान पर 4% ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जाता है तथा शेष रु० 5000/- अनुदान के रूप में दिया जाता है।
5. दक्ष निःशक्त कर्मचारियों, स्वतः रोजगार में कार्यरत निःशक्तजनों एवं उनके सेवायोजकों एवं प्लेसमेन्ट अधिकारियों – दक्ष निःशक्त कर्मचारियों, स्वतः रोजगार में कार्यरत निःशक्तजनों एवं उनके सेवायोजकों को विभाग द्वारा रु० 5000/- के नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान दिया जाता है।
6. निःशक्त युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार– निःशक्त युवक/युवती से विवाह करने पर विभाग द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसमें युवक के निःशक्त होने पर रु० 11,000/- युवती के निःशक्त होने पर रु० 14,000/- तथा दोनों के निःशक्त होने पर रु० 14,000/- प्रदान किये जाते हैं।
7. राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशक्तजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा-राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

8. एडिप (ADIP) योजना— Assistance to Disabled Persons for Purchase/ Fitting of AIDS/Appliances इस योजना के अन्तर्गत इम्पलीमेनटिंग एजेन्सी/संस्थाओं के माध्यम से निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपलकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। जिसकी इम्पलीमेनटिंग एजेन्सी हैं—

1. (नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट), सेवाधाम सेवानगर, हीरण मगरी,
सेक्टर-4, उदयपुर-313040-60 राजस्थान
2. बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, 155, राजपुर रोड, देहरादून।
3. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून

अध्याय – 9

निःशक्तजनों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख निर्देश / आदेश

क्र० सं०	विभाग का नाम	शासनादेश संख्या / दिनांक	विषय
1.	कार्मिक विभाग	संख्या 432 / XXX(2) / 2005 दिनांक 14.03.2005	निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के सम्बन्ध में।
2.	समाज कल्याण विभाग	संख्या 488 / XVII-2 / 2010-06(39) / 2005 दिनांक 19.08.2010	उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।
3.	समाज कल्याण विभाग	संख्या 1000 / XVII-2 / 2010-06(39) / 2005 दिनांक 15.10.2010	उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 19-08-2010 की तालिका के क्रमांक-2 के स्तम्भ-4 में संशोधन।
4.	कार्मिक विभाग	सं 1673 / XXX(2) / 2010 दिनांक 10.11.2010	राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में क्षैतिज आरक्षण।
5.	समाज कल्याण विभाग	सं 1407 / XVII-02 / 2011-10(01) / 2009 दिनांक 15.12.2011	परिचयका विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों द्वारा पत्नी एवं निराशित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण-पोषण अनुदान योजना की नियमावली वर्ष 2011